उनवान—हुकमा बनाम जसाराम वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 312/2023

[का]र्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

[पी]ठासीन अधिकारी —श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन— 312/2023 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवान :—

प्रार्थी :— 1. हुकमा पुत्र तेजा जाति मेघवाल, निवासी जोरापुरा (गंगासरा), तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी :—01. जसाराम पुत्र सताराम 02. नेना पुत्र दौला 03. नरीगा पुत्र दौला 4 नवलीदेवी पत्नी सताराम 5. हरिराम पुत्र सताराम जाति जाट, निवासी जोरापुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 6. केवलाराम पुत्र चौखाराम 7. चनणाराम पुत्र ताजाराम 8. मनजीराम पुत्र ताजाराम 9. रूपाराम पुत्र चौखाराम 10. तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थी :— श्री आम्बाराम पूनड़

विप्रार्थी संख्या 01 से 05, 08 व 09 के वकीलः— श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांकः— 21.07.2025

प्रार्थी हुकमा पुत्र तेजा जाति मेघवाल निवासी जोरापुरा (गंगासरा) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम जोरापुरा पटवार हल्का गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 572/427 रकबा 8.2475 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी आयी हुई है। प्रार्थीया को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने—जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम जोरापुरा के खसरा नम्बर 420/103 रकबा 5—7222 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने—जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने—जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। अभी राज्य सरकार की भूमि पर कुछ अतिक्रमणधारियों द्वारा उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता हैं। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांकः रीडर/2024/63 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा लिखा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उनवान—हुकमा बनाम जसाराम वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 312/2023

…लय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/2212 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण उपस्थित मिले। मौके पर वादी व गांव मुखिया मौतबरानों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआवना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई—

क्र सं	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जसाराम, हरिराम पिता सताराम 2/9 नवली पत्नी सताराम 1/3, नरीगा पुत्र दौला हि 1/3, नैना पुत्र दौला हि. 1/3 कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना	420/103	5—7222 हैक्टेयर	20	0.0450 हैक्टेयर	जोरापुरा	16600/—	बा.सो
2	केवलाराम, रूपाराम पिता चौखाराम 1/2 हिस्सा, चनणाराम मनजीराम पिता ताजाराम 1/2 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	426/106	1.3597 हैक्टर	20	0.0480 हैक्टेयर	जोरापुरा	11250/—	बा.सो.

वादी के ग्राम जोरापुरा के खसरा संख्या 572/427 के खातेदार हुकमा पुत्र तेजा कौम मेघवाल सा0 जोरापुरा द्वारा अपने खेत तक आने जाने के लिए खसरा संख्या 420/103 रकबा 5—7222 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 में से कटान रास्ते की मांग की है, प्रार्थी द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवागमन योग्य है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है। वर्तमान में भूमि मौके पर खाली है। प्रार्थी द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम जोरापुरा की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि की दर सिंचित सड़क के पास 37937/— प्रति बीघा है। प्रार्थी के खातेदारी खेत 572/427 तक पहुंचने हेतु जोरापुरा के खसरा संख्या 420/103 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

... रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता व प्रार्थी के खेत के खसरा संख्या 606/106 व खसरा संख्या 608/106, 607/108 रास्ता प्रयोजनार्थ राजहक में समर्पित है। संलग्न नक्शा फर्द मौका का अभिन्न अंग है। फर्द मौका पढकर सुनाई गई, सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जसाराम, हरिराम पिता सताराम 2/9 नवली पत्नी सताराम 1/3, नरीगा पुत्र दौला हि 1/3, नैना पुत्र दौला हि. 1/3 कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना	420/103	5–7222 हैक्टेयर	20	0.0450 हैक्टेयर	जोरापुरा	16600/–	बा.सो
2	केवलाराम, रूपाराम पिता चौखाराम 1/2 हिस्सा, चनणाराम मनजीराम पिता ताजाराम 1/2 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	426/106	1.3597 हैक्टर	20	0.0480 हैक्टेयर	जोरापुरा	11250/–	बा.सो.

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा इस अधिनियम में इस नियम 70(1) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो क्षतिपूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी। यदि पक्षकार प्रतिकर(मुआवजे) की राशि पर परस्पर रूप से सहमत हो जाते हैं, तो उपखण्ड अधिकारी परस्पर हुए करार(एग्रीमेण्ट) के अनुसार प्रतिकर की राशि अवधारित करेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विप्रार्थी संख्या 01 से 05, 08 व 09 द्वारा नए रास्ते में समाविष्ट भूमि अपने हिस्से में से बिना कोई प्रतिकर(निःशुल्क) देने की लिखित सहमति प्रकट की है।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2024 मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2024 मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010(दिनांक 18.01.2012 से प्रभावी) को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में संबंधित पक्षकारान् की लिखित सहमति से बिना प्रतिकर निःशुल्क दिए जाने का आदेश दिया जाता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 05, 08 व 09 द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते की भूमि अपने हिस्से में से निःशुल्क देने से प्रार्थी को केवल विप्रार्थी संख्या 06 व 07 के हिस्से की क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में अदा करनी होगी। प्रार्थी को उपर्युक्त खसरान् में से प्रस्तावित नया रास्ता दिए जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में विप्रार्थी संख्या 06 व 07 के हिस्से की समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी संख्या 06 व 07) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

... द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे में से विप्रार्थी संख्या 06 व 07 के हिस्से की भूमि हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में संबंधित अधिवक्ताओं की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रति कार्य

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 2212 दिनांकः– 11-07-2024

प्रेशितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 312 / 2023 अनवान हुकमा बनाम जसाराम वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व आवेदन सं 312 / 2023 अनवान हुकमा बनाम जसाराम वगैरह अन्तर्गत आरटी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम जोरापुरा के खसरा **572 / 427** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **420 / 103** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू–अभिलेख निरिक्षक **फागलिया** द्वारा दिनांक **17.03.2024** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन दो प्रति में भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

उपखण्डदार (भू.अ.) सेड़वा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन सं 312/2023 अनवान हुकमा बनाम जसाराम वगैरा अन्तर्गत राज० काश्तकारी अधि० की धारा 251 `A` में

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......वस्ताराम......... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त......फागलिया......
कार्यालय, तहसीलदार ......सेडवा........ के आदेश कमांक/627-628 दिनांक 7/3/24 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 17/3/24 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-420/103 वाके ग्राम जोरापुरा पटवार मंडल गंगासरा पर श्री ......जगाराम...... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

निरीक्षक (भू.अ.)
समस्त पक्षकारों को ~~तहसील~~ कार्यालय से नोटिस कमांक 468-469 दिनांक 13/03/24... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	हुकमाराम	s/o तेजाराम	60	मेघवाल	प्रार्थी
2.	नेनाराम	s/o दौलाराम	50	जाट	विप्रार्थी
3.	नरींगा	s/o दौलाराम	53	जाट	विप्रार्थी
4.	मांगीलाल	s/o हुकमाराम	28	मेघवाल	प्रार्थी पुत्र

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को रंग लाल दर्शाया गया है उक्त रास्ते में किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ नहीं है, प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है।
उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्र.सं.	खातेदार मय पता	खसरा	रकबा (हे.)	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि किस्म
1.	जसाराम हरिराम पि० सताराम 2/9 ~~हरिराम पुत्र~~ नवली पत्नी सताराम 1/3 नरींगा पुत्र दौला हि० 1/3 नैना पुत्र दौला हि० 1/3 कौम जाट सा० देह खातेदार- रहन - SBBJ शाखा धोरीमन्ना	420/103	5.7222 हे.	20 फीट	0.0450 हे.	जोरापुरा	16600/- रु.	बा०धो०
2	केवलाराम रूपाराम पि. चौखाराम 1/2 हि. चनणाराम मनजीराम पि. राजाराम [illegible] कौम मेघवाल सा० देह खातेदार	[illegible]	[illegible]	[illegible] फीट	0.0480 हे.	जोरापुरा	11250/- रु.	बा.सो.

ग्राम जोरापुरा के ख.न. 420/103, 426/106 की DLC दर सिंचित (ब्लॉक के पास) कुल 596927/- 37937 रुपये प्रति बीघा है संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है प्रस्तावित रास्ता भूमि के बीच में ख.नं 606/106 व 608/106, 607/108 भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ राजहक में समर्पित की हुई है।

ILR फागलिया

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यार्थी

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	हुकमाराम	s/o तेजाराम	मेघवाल		प्रार्थी
2	मांगीलाल	पुत्र हुकमाराम	मेघवाल		प्रार्थीपुत्र

नि. हुकमाराम

मांगीलाल

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	नेना	पुत्र दौला		जाट	विप्रार्थी
2	नरींगा	पुत्र दौला		जाट	विप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1	पन्नाराम	s/o गुमनाराम	45	जाट	नि. जोरापुरा
2.	दानाराम	s/o पाधाराम	45	जाट	नि. पाबुदानपुरा
3.	वाधाराम	s/o गुमनाराम	60	जाट	नि. जोरापुरा
4.	मनजीराम	s/o राजाराम	50	मेघवाल	नि. जोरापुरा

पन्नाराम
दानाराम

इस प्रकार आज दिनांक 17/3/24 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

नि. वाधाराम

हस्ताक्षर 17/03/24
पटवारी जगासर
पं. मं.

हस्ताक्षर 17/3/24
भू अभि निरीक्षक
JWR जागालिया

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

नि. मनजीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर

पटवारी हल्का : गंगासरा

तहसील : सेड़वा

ग्राम : जोरापुरा

दिनांक : 13/03/2024 06:06:55 PM

भू. अ. नि. क्षेत्र फागलिया

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

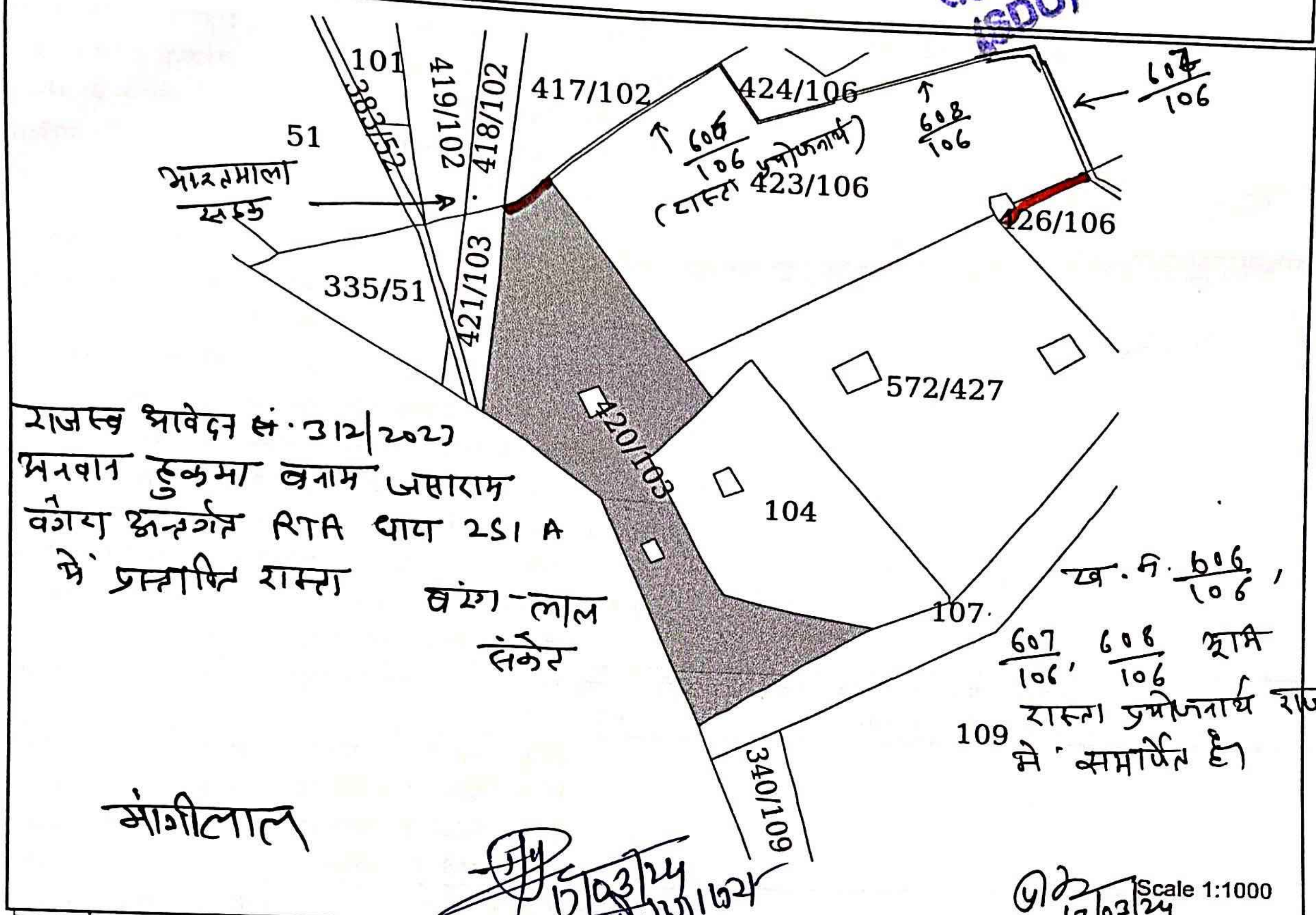

खसरा संख्या :420/103 क्षेत्रफल : 5.7222 Hectare खाता संख्या : 18पुराना खाता संख्या :0

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [5.7222, 1.09]

1.) जसाराम पुत्र सताराम हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/9 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरिमन्ना

2.) नेना पुत्र दौला हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) SBBJशाखा धौरीमना

3.) नरीगां पुत्र दौला हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरिमन्ना

4.) नवलीदेवी पत्नि सताराम हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/9 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरिमन्ना

5.) हरिराम पुत्र सताराम हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/9 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरिमन्ना

ILR फागलिया

पनाराम

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील ... से संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 829   दिनांकः– 14.08.2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राज आ.स 312 / 2023 उनवान हुकमाराम वगैरह बनाम जसाराम वगैरह में अंतर्गत धारा 251 ए में निर्णय दिनांक 21.07.2025 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी का पत्रांक / रिडर / 2025 / 312 / 2023 निर्णय दिनांक 21.07.2025 के संदर्भ में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सलंग्न मा. न्यायालय के हुकमाराम वगैरह बनाम जसाराम वगैरह अंतर्गत धारा 251 ए रा.का.अधि. में निर्णय दिनांक 21.07.2025 की पालना हेतु निरीक्षक (भू.अ.) फागलिया को निर्देशित किये जाने पर निरीक्षक (भू.अ.) फागलिया द्वारा निर्वापित अभिधृति ग्राम जोरापुरा के ख.न. 426 / 106 रकबा कमशः 0.0480 की ग्राम जोरापुरा की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य सरंचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन की गणना सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में निरीक्षक (भू.अ.) फागलिया से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिपोर्ट बाद जांच व प्रति हस्ताक्षर के स्वीकृति व अग्रीम आदेशार्थ श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।   सादर।

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
सेड़वा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 312/2023 भगवान हुकमा बनाम जसाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251 A RT Act में निर्णय दिनांक 21/07/25 की पालना में क्षतिपूर्ति राशी का निर्धारण बाबत्

प्रसंग :- आपका आदेश क्रमांक/भू.अ./2025/793 दि० 05.08.25

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 312/2023 भगवान हुकमा बनाम जसाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251 A RT Act में निर्णय दिनांक 21.07.2025 के अनुसार निर्मित रास्ते में ~~क्षतिपूर्ति~~ समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशी (वर्तमान DLC दर की दुगुनी राशी) को प्रभावित पक्षकारो को भुगतान हेतु निर्धारण निम्न प्रकार है-

क्र.स.	ग्राम	खसरा	रकबा (हे०)	किस्म	रास्ते में प्रयुक्त भूमि	निर्मित रास्ते के खातेदार जिनको क्षतिपूर्ति राशी का भुगतान किया जाना है	DLC दर	पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति राशी (रु.)
1	जोरापुरा	426/106	1.3597 ~~[illegible]~~ हे०	बा०नं०	0.0480 हे०	केवलाराम पुत्र चौखाराम 1/4	सिंचित (अन्य सड़क से दूर)	6720/- रु
						धनाराम पुत्र लाजाराम 1/4	2,80,000/-	6720/- रु
						मनजीराम पुत्र लाजाराम 1/4	रु-प्रति	निःशुल्क
						रूपाराम पुत्र चौखाराम 1/4	हेक्टर	निःशुल्क
						काम मेघवाल सा०देह खातेदार		13440/- रु

ग्राम जोरापुरा के खसरा सं. 420/103 में से निर्मित रास्ते में प्रयुक्त रकबा 0.0450 हेक्टर भूमि निःशुल्क देने की लिखित सहमति प्रकट की है। तथा खसरा सं. 426/106 के खातेदार मनजीराम पुत्र लाजाराम रूपाराम पुत्र चौखाराम ने अपने हिस्से की भूमि निःशुल्क देने की सहमति प्रकट की है। खसरा सं. 426/106 के पक्षकारो को कुल क्षतिपूर्ति राशी 13440/- रु. अक्षरे तेरह हजार चार सौ चालीस रूपये देय होगी।
उक्त निर्मित रास्ते में कोई मकान किमती पेड़ इत्यादि नहीं है।
अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट [illegible] सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:47:42 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी
(हस्ताक्षर)
08/08/25
ILR आगालिया

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा